

तारीख पेशी	2015/00209 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री के.के. सिंघाणा श्री गणेश्वर-चौधरी 1,2,4,5,6,7	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामीत में जारी हुए
17.6.19	<p>बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी के ब्रीफ होल्डर एवं अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित।</p> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं बाद अवलोकन न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।</p> <p>तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. पर पर अभिभाषक उभयपक्ष प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को 1000/-रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. को 1000/-रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	GA. 8,9

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अनन्ता